# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अपील संख्या 22/2014**

अरविन्द कुमार माथुर —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवसन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 26.03.2014
**आदेश की दिनांक** : 29.05.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अपनी सेवा संबंधी परिलाभ, चयनित वेतनमान, अन्य समान कार्मिकों को आदेश दिनांक 05.09.2013 (अनुलग्नक—6), 19.09.2013 (अनुलग्नक—7), 20.05.2011 (अनुलग्नक—8) एवं 31.01.2007 (अनुलग्नक—9) के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए निर्धारित वरीयता के समान वरीयता एवं अन्य परिलाभों के समान ही अपीलार्थी को उक्त समस्त परिलाभ प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी जोधपुर विकास प्राधिकरण में डिग्रीधारक अधिशाषी अभियन्ता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.01.1997 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के अस्थाई पद पर वेतनमान 1400—2600 में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी के साथ—साथ अन्य चन्द्र प्रकाश पुरोहित, जगदीश छंगाणी, राकेश माथुर इत्यादि को भी अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। समयानुसार अपीलार्थी की सेवाओं को आगे बढ़ाया जाता रहा। आदेश दिनांक 18.07.2003 (अनुलग्नक—4) नियमित वेतनमान 5000—150—8000 में वेतन नियत किया गया और आदेश दिनांक 28.12.2001 एवं 26.02.2000 द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए वरीयता निर्धारित किये जाने का उल्लेख किया गया। अपीलार्थी के साथ ही नियुक्त रामेश्वर लाल माथुर एवं किशन लाल गौड़ द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 5124/2005 में माननीय न्यायालय ने याचियों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से 18

वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने का विनिश्चय किये जाने के साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा सक्षत प्राधिकारी को उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों (राकेश परिहार, चन्द्र प्रकाश पुरोहित, जगदीश छंगाणी) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 4890/2009 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2009 एवं रिट संख्या 5124/2005 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2005 (अनुलग्नक–5) से उपरोक्त आशय का अनुतोष प्राप्त कर चुके हैं। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान प्रकृति के होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विनिश्चय दिनांक 15.05.2009 के अनुसरण में याचियों/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.05.2009 को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की बैठक दिनांक 20.04.2012 में एक प्रस्ताव संख्या 26 पारित कर इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 06.02.2013 को यह निर्णय लिया कि अपीलार्थी/याचियों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि 08.01.1997 से सेवाओं की गणना की जाकर सेवा परिलाभ प्रदान किये जावे। जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.09.2013 (अनुलग्नक–6) द्वारा उक्त आशय की स्वीकृति जारी की गई तथा दिनांक 19.09.2013 (अनुलग्नक–7) द्वारा संबंधित कार्मिकों का वेतन नियतन, चयनित वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि इत्यादि स्वीकृत किए आदेश जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.05.2011 के तहत दो समान कार्मिकों किशन लाल गौड एवं रामेश्वर लाल माथुर का नाम वरीयता सूची दिनांक 05.06.2008 में सम्मिलित किया गया एवं दिनांक 31.01.2007 द्वारा समस्त परिलाभ उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए (अनुलग्नक–8 एवं 9)।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अन्य उपरोक्त कार्मिकों के समान अपीलार्थी को आदिनांक तक सेवा परिलाभ यथा चयनित वेतनमान, प्रथम नियुक्ति तिथि से वरीयता प्रदान करना इत्यादि का परिलाभ प्रदान नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपील को सेवा संबंधी परिलाभ, चयनित वेतनमान, अन्य समान कार्मिकों को आदेश दिनांक 05.09.2013 (अनुलग्नक–6), 19.09.2013 (अनुलग्नक–7), 20.05.2011 (अनुलग्नक–8) एवं 31.01.2007 (अनुलग्नक–9) के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए निर्धारित वरीयता के समान वरीयता एवं अन्य परिलाभों के समान ही अपीलार्थी को उक्त समस्त परिलाभ प्रदान किए जाने का आदेश फरमाया जावे।
4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

6. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है, अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार तथा विभाग द्वारा उसे नियमों के सापेक्ष निस्तारित करने में अनापत्ति जाहिर की है।

7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे। अतः उक्तनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**